छत्तीसगढ़ शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

(वर्ष 2009–2010)

(दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009)

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

श्री रामविचार नेताम
विधि मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक
(संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य)
बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की
स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
(राष्ट्र की एकता और अखंडता)
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0
(मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

:: विषय वस्तु ::

प्रस्तावना

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना
2 विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य
3. विभाग के मुख्य कार्य
4. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम
5. विभाग के अंतर्गत अधीन गठित मण्डल, निगम एवं विश्वविद्यालय
6. विभाग के अधीन सेवा
7. न्याय प्रशासनः-
   - 7.1 उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण
   - 7.2 उच्च न्यायालय भवन का निर्माण
   - 7.3 न्याय प्रशासन अधोसंरचना विकास सुविधा (न्यायालय भवन/आवासीय भवनों का निर्माण)
   - 7.4 कुटुम्ब न्यायालय का निर्माण
   - 7.5 फास्ट ट्रेक कोर्ट्स का निर्माण
   - 7.6 न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण
   - 7.7 वर्ष 2009-10 के लिए बजट प्रावधान
   - 7.8 हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का बजट प्रावधान
   - 7.9 विधिक सहायता तथा गरीबों को विधिक सलाह
8. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण
9. हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
10. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर
    - 10.1 छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वर्तमान में पदाधिकारियों की संरचना
    - 10.2 जनउपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत के सभापति
    - 10.3 पेंशन लोक अदालत की पीठ के अध्यक्ष एवं सदस्य गण
    - 10.4 छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का राज्य नेटवर्क
    - 10.5 छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्तमान में संचालित प्रमुख योजनायें
    - 10.6 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में संचालित योजनायें
    - 10.7 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष में आयोजित कार्यक्रम
    - 10.8 वर्ष 2009 में माह जनवरी, 09 से दिसम्बर, 09 तक की अवधि में छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

10.9 विभागीय बैठक का आयोजन
10.10 प्रशासकीय स्वीकृतियां
10.11 संचालित योजनाओं हेतु मदवार प्राप्त आबंटन
10.12 वर्ष 2009 के लिये जिलेवार नियुक्त किये गये निःशुल्क विधिक सेवा अधिवक्ताओं एवं रिमाण्ड पैनल अधिवक्ताओं की संख्या
10.13 राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की संकलित सांख्यिकी जानकारी
11. शासकीय / अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति
12. नोटरी
13. उच्चतम न्यायालय में स्टेन्डिंग कौंसिल
14. महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत विधि अधिकारीगण
15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
16. विभाग की महत्वपूर्ण शाखाओं द्वारा संपादित कार्य
17. सारांश
18. भविष्य की योजनाएं

--000--

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रस्तावना

"लोकाः समस्ताः सुखिनों भवन्तु ।" मनु स्मृति की यह उक्ति अपने आप में उन सभी बातों को समाविष्ट किये हुए हैं जो एक स्वस्थ समाज के लिए अपरिहार्य है । व्यक्ति, समाज, धर्म, राजनीति का मूल आधार उक्त नीति वाक्य है । राष्ट्र की समस्त जनता खुशहाल हों, समृद्ध हों तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं न्याय के समान अवसर उन्हे प्राप्त हों, इस संबंध में मनुस्मृति का निम्न श्लोक एक सुव्यवस्थित, नियंत्रित राज्य के लिए अनुकरणीय है :-

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ।
सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ।।

उक्त उक्ति के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य पूर्ण स्वावलम्बी बने तथा राज्य के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा समानता के अवसर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक दिशा में प्रयास हुआ है और इसमें राज्य के प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं ।

राज्य के कमजोर से कमजोर वर्ग के लोगों तक न्याय प्राप्ति हेतु राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण का मूल मंत्र है -

दीन सबन को लखत है, दीनहि लखै न कोय ।
जो रहीम दिनहि लखै, दीनबंधु सम होय ।।

यह उक्ति समाज के उन कमजोर तबके की ओर इंगित करती है, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए उन्हें न्याय प्राप्ति का समुचित अवसर प्राप्त कराना शासन का ध्येय है ।

राज्य के नागरिकों में उनकी गरिमा और राज्य की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये सभी कृत संकल्प होकर कार्यरत हैं ।

न्याय प्रशासन के उन्नयन की दिशा में अग्रसर होते हुए माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 की गई है । राज्य में पारिवारिक मामलों के त्वरित निराकरण हेतु पूर्व में 14 कुटुंब न्यायालय स्थापित थे, जिन्हें बढ़ाकर 19 किया गया है । राज्य के दूरस्थ अंचलों में न्यायालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य के 50 स्थानो में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का अतिरिक्त न्यायालय स्थापित किया गया है । राज्य के न्यायालयों के लिए अतिरिक्त जिला

न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के 2 पद व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के 60 पदों पर पदस्थापना की गई है । हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है । राज्य में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 31 फास्ट ट्रेक कोर्ट कार्यरत हैं ।

राज्य के नागरिकों में उनकी गरिमा तथा राज्य की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की सुदृढ़ीकरण के लिए सभी कृत संकल्पित होकर कार्यरत हैं ।

हमारा मुख्य उद्देश्य विधि निर्माण एवं कानून के अनुसार प्रदेश का कार्य संचालन, राज्य में जरूरी विधि शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्ग हेतु विशेष न्यायालयों का गठन, पारिवारिक विवादों के निपटारे हेतु सतत् प्रयास, जिलों में कुटुंब न्यायालय की स्थापना, कमजोर वर्ग के लोगों को विधि ाक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में न्याय प्रशासन के कार्य में प्रगति लाना है।

वर्ष 2009-2010 का विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

(आर. एस. शर्मा)
प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग